झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड विधान मंडल के (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड विधान–मंडल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

खण्ड–1

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।
2. झारखण्ड अधिनियम 01, 2001 यथा संशोधित अधिनियम 11, 2006 एवं अधिनियम 06, 2008 की धारा–2 का संशोधन।
3. झारखण्ड अधिनियम, 01, 2001 यथा संशोधित अधिनियम 11, 2006 एवं अधिनियम 06, 2008 की धारा–2 का संशोधन।
4. झारखण्ड विधान मंडल पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 01, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 11, 2006 द्वारा यथासंशोधित) की धारा–3 में संशोधन।
5. झारखण्ड विधान मंडल पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 01, 2001 की धारा–VI यथा संशोधित अधिनियम–11, 2006 एवं अधिनियम 06, 2008 की धारा–4 में संशोधन।
6. झारखंड विधान–मंडल, (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 01, 2001 की धारा IV – यथासंशोधित अधिनियम–11, 2006 की धारा 2 में संशोधन।
7. झारखंड विधान–मंडल, (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 01, 2001 की धारा xi (2) में संशोधन।

झारखंड विधान–मंडल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखंड विधान–मंडल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 2001 में संशोधन।

झारखण्ड विधान मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते का अवधारण करने के लिए अधिनियम–

भारत गणराज्य के 62वाँ वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः–

   (i). यह अधिनियम झारखंड विधान मंडल (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

   (ii). इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (iii). यह दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से प्रभावी समझा जायेगा।

2. झारखण्ड अधिनियम 01, 2001 यथा संशोधित अधिनियम 11, 2006 एवं अधिनियम 06, 2008 की धारा–2 का संशोधन– झारखण्ड विधान मंडल, (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम–01, 2001) समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम के द्वारा अध्यक्ष को वेतन के रूप में 10,500/–(दस हजार पांच सौ) रु0 के स्थान पर 40,000/– (चालिस हजार) रु0 प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. झारखण्ड अधिनियम, 01, 2001 यथा संशोधित अधिनियम 11, 2006 एवं अधिनियम 06, 2008 की धारा–2 का संशोधन– झारखण्ड विधान मंडल, (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम–01, 2001) द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम के द्वारा उपाध्यक्ष को वेतन के रूप में प्रति माह प्रावधानित राशि 10,000/–(दस हजार) रुपये के स्थान पर 39,000/–(उनचालिस हजार) रूपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

4. झारखण्ड विधान मंडल पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 01, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 11, 2006 द्वारा यथासंशोधित) की धारा–3 में संशोधन– क्षेत्रीय भत्ता में परिवर्तन कर अध्यक्ष को 15,000/– रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 30,000/– रूपये तथा उपाध्यक्ष को 12,000/– रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 20,000/– रूपये प्रति माह प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. झारखण्ड विधान मंडल पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 01, 2001 की धारा–VI यथा संशोधित अधिनियम–11, 2006 एवं अधिनियम 06, 2008 की धारा–4 में संशोधन– सत्कार भत्ता के रूप में अध्यक्ष को 15,000/–(पन्द्रह हजार) के स्थान पर 30,000/– (तीस हजार) रुपये तथा उपाध्यक्ष को 12,000/–(बारह हजार) रुपये के स्थान पर 25,000/–(पच्चीस हजार) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

6. झारखंड विधान–मंडल, (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 01, 2001 की धारा IV – यथासंशोधित अधिनियम–11, 2006 की धारा 2 के द्वारा प्रावधानित राशि के स्थान पर अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को यात्रा और दैनिक भत्ता के रूप में राज्य के अंदर 1000/– तथा राज्य के बाहर 1500/– रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

7. झारखंड विधान–मंडल, (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 01, 2001 की धारा xi (2)– को निम्नरुपेण प्रतिस्थापित किया जायेगा–

(i) विशेष रूप से और पूर्ववर्त्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली समस्त या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेगी; वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें।

यह विधेयक झारखण्ड विधान मंडल के (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 42--50--6-9-2011 ।